भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2567
09.03.2026 को उत्तर के लिए

कर्नाटक में पर्यावरणीय क्षरण

2567. **श्री बसवराज बोम्मईः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में वनों की कटाई, जल और वायु प्रदूषण और भू-जल की कमी सहित बिगड़ते पर्यावरणीय क्षरण का संज्ञान लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक इस समस्या के समाधान के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और **(ख):** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, भारतीय वन अधिनियम, 1927, जल (प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, और वायु और जल निकायों, पर्यावरण और वन के संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उक्त अधिनियमों पर आधारित विभिन्न नियमों, विनियमनों के अधिनियमन द्वारा पर्यावरण, वन, जल और वायु की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है।

उपरोक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार, सभी औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों, जो औद्योगिक अपशिष्ट, उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं, तथा नदियों और जल स्रोतों में प्रवाहित करने तथा वायुमंडल में छोड़ने से पूर्व निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अनुमति तंत्र के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण के उपाय निधारित करके और पर्यावरण के मानक का अनुपालन की निगरानी करके उद्योगों और प्रदूषण फैलाने वाली कार्यकलाप को प्रारंभ करने और संचालन में निगरानी करते हैं।

वर्ष 2019 में भारत सरकार ने देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की है। यह एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है, जिसका उद्देश्य 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 130 मानक प्राप्त न करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों/शहरी समूहों में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करना है। इसमें कर्नाटक राज्य के 4 शहर नामतः बेंगलुरु, दावणगेरे, गुलबर्गा और हुबली-धारवाड भी शामिल हैं।

कर्नाटक के उपरोक्त शहरों को वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए शहर कार्य योजना कार्यान्वित करने के लिए 625.93 करोड़ रुपए का वायु गुणवत्ता प्रदर्शन अनुदान दिया गया है।

कर्नाटक के लिए स्वच्छ वायु राज्य कार्य योजना (एसएपी) राज्य स्तरीय वायु गुणवत्ता निगरानी समिति (एक्यूएमसी) द्वारा तैयार की गई है। इस योजना में राज्य-विशिष्ट योजनाएँ, नीतियाँ और लक्षित उपाय शामिल हैं, जिनका उद्देश्य पूरे राज्य में परिवेशी वायु गुणवत्ता को सतत रूप से सुधारना है। इसमें विभिन्न क्षेत्र-वार कार्य योजना नामत: वाहन उत्सर्जन, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क धूल नियंत्रण, बायोमास जलाने पर नियंत्रण, और औद्योगिक उत्सर्जन का समाधान शामिल हैं।

राज्य में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए कर्नाटक में कुल 73 स्टेशनों (42 सीएएक्यूएमएस और 31 मैनुअल स्टेशन) का वायु गुणवत्ता नेटवर्क है, जो राज्य के 29 शहरों में फैला हुआ है। इनमें से बेंगलुरु में 23 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (14 सीएएक्यूएमएस और 09 मैनुअल स्टेशन) स्थापित हैं।

सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर्नाटक राज्य के 4 लक्ष्य प्राप्त न करने वाले / दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में से 3 शहरों में PM10 सांद्रता में कमी देखी गई है।

औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-I के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए "पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के मानक" अधिसूचित किए हैं।

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) ने सूचित किया है कि सीमेंट उद्योगों को वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर और बैग हाउस / बैग फिल्टर उपलब्ध कराना अनिवार्य है, ताकि स्टैक्स, सामग्री संभालने/स्थानांतरण बिंदुओं, कोयला मिलों, पैकिंग सेक्शन प्रक्रिया आदि से उत्पन्न धूल का प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। यह प्रावधान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीमेंट उद्योगों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमुख स्टैक्स पर ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करना अनिवार्य है, तथा रियल टाइम के आंकड़ों को केएसपीसीबी / सीपीसीबी सर्वर से जोड़ना सुनिश्चित करना है, साथ ही, परिवेशी वायु की संधारणीय निगरानी हेतु सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी (सीएएक्यूएम) स्टेशनों की व्यवस्था करना और अप्रत्यक्ष धूल नियंत्रण उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन करना भी आवश्यक है। सहमति में अनिवार्य इकाई में एक विशेष शर्त भी

निर्धारित की गई है, जिसके तहत इकाइयों को अप्रत्यक्ष धूल नियंत्रण के लिए सीपीसीबी दिशा-निर्देशों तथा अपशिष्टों के सह-प्रसंस्करण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। सीमेंट उद्योगों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों में एक विशेष शर्त यह भी निर्धारित की गई है कि उद्योग परिसर में न्यूनतम हरित पट्टी (ग्रीनबेल्ट) विकसित की जाए जिस पर उद्योगों को जारी की गई स्थापना की सहमति (सीटीई)/ संचालन की सहमति (सीटीओ) में दिए गए प्रावधानों के माध्यम से ज़ोर दिया गया है और इस शर्त पर और अधिक बल सहमति पत्रों) तथा केएसपीसीबी द्वारा अनुपालन हेतु इसकी पुष्टि की गई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीओसीबी) ने व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) के आधार पर कर्नाटक में गंभीर और अति गंभीर रूप से और दूसरे प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें पीण्य, बीदर, भद्रावती, मंगलुरु, केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र और रायचूर औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन औद्योगिक क्षेत्रों में सीईपीआई स्कोर को कम करने के लिए कार्य योजनाएँ कर्नाटक राज्य तैयार की गई हैं और लागू की गई हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से एक राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क (एनडबल्यूएमपी) स्थापित किया है ताकि जल संसाधनों की गुणवत्ता की स्थिति का नियमित रूप से आकलन किया जा सके, और जल निकायों में प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण में सहयोग मिल सके। एनडबल्यूएमपी के तहत, कर्नाटक राज्य में नदियों, झीलों, तालाबों और टैंकों समेत 325 निगरानी स्थल बनाए गए हैं। वर्ष 2022 और 2023 के जल गुणवत्ता आकड़ों के आकलन के आधार पर वर्ष 2025 में प्रदूषित नदी के हिस्सों की पहचान की गई है। कर्नाटक में, मौजूदा आकलन में 14 पीआरएस (प्रायोरिटी क्लास-I के तहत 03 पीआरएस, प्रायोरिटी क्लास-III के तहत 04 पीआरएस, प्रायोरिटी क्लास-IV के तहत 02 पीआरएस और प्रायोरिटी क्लास-V के तहत 05 पीआरएस की पहचान की गई है।

इन प्रदूषित नदी हिस्सों के पुरुद्धार के लिए, राज्य सरकार द्वारा गठित नदी पुनर्जीवन समितियों (आरआरसी) ने राज्य के प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग के पर्यवेक्षण एवं समन्वय में कार्य योजना तैयार की । वर्ष 2018 में पहचाने गए पीआरएस के तुलनात्मक आकलन के आधार पर 04 पीआरएस की पहचान की गई है और अब वर्ष 2025 में इसके अलावा, वर्ष 2022 और 2023 के पानी की गुणवत्ता आकड़ों के आकलन के आधार पर जल की गुणवत्ता में सुधार दिखाते हुए 05 पीआरएस को लोअर प्रायोरिटी क्लास में शिफ्ट कर दिया गया है।

कर्नाटक में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) कुल 316 शहरी स्थानीय निकाय हैं, इनमें से 27 यूएलबी को अटल पुरुद्धार और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)के अंतर्गत शामिल किया गया है, और 288 यूएलबी गैर-अमृत श्रेणी में आते हैं। पूरे राज्य में, घरेलू पानी के शोधन हेतु 132 यूएलबी में गंदे पानी की शोधन सुविधाएँ स्थापित की गई हैं।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडबल्यूबी) देश के शहरी क्षेत्रों सहित दोनों प्रदूषित और अप्रदूषित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए समय-समय पर भूजल गुणवत्ता की निगरानी करता है। कर्नाटक के लिए सीजीडबल्यूबी द्वारा

एकत्र किए गए आँकड़ों से यह संकेत मिला है कि:लगभग 68.55% विश्लेषित कुओं में जल स्तर बढ़ता हुआ पाया गया, जबकि लगभग 31.08% विश्लेषित कुओं में जल स्तर घटता हुआ दर्ज किया गया। वर्ष 2022-23 में सीजीडबल्यूबी ने कर्नाटक के 18 जल की कमी वाले जिलों के लिए जिला पुनर्भरण योजना तैयार की। इन योजनाओं को कर्नाटक सरकार के भूजल विभाग के साथ साझा किया गया है।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडबल्यूए) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रशासकों को अधिसूचनाएँ और निर्देश भी जारी करता है ताकि वे देश के सभी 'गंभीर' और 'अत्यधिक दोहन किए गए' आकलन इकाइयों (जैसे ब्लॉक/तालुक/जिला/घाटी/द्वीप/क्षेत्र/तहसील आदि) और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले में सभी सरकारी इमारतों में छत पर वर्षा जल संचयन (आरटीआरडबल्यूएच) को अपनाएँ।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है। इस नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है तथा वर्षा के सीधे उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें भी अन्य बातों के साथ साथ यह पक्ष रखा गया है कि समुदाय की भागीदारी के माध्यम से नदी, नदी के किनारों और अवसंरचना का संरक्षण, वैज्ञानिक तरीके से योजना किया जाना चाहिए।

वर्ष 2019 में जल शक्ति मंत्रालय ने 256 जल की कमी वाले ज़िलों में पानी बचाने के मिशन मोड के तौर पर समयबद्ध, जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया था। जल शक्ति अभियान: वर्ष 2021 में "जहां गिरे, जब गिरे वही संजोए" की टैगलाइन के साथ पुरे भारत में प्रारंभ किया। जेएसए के तहत जल संचय जन भागीदारी के तहत कर्नाटक के क्रमश:31 ज़िलों में कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और भंडारण के 1,83,633 काम पूरे किए गए हैं।

जल शक्ति मंत्रालय ने औद्योगिक, अवसंरचना को तथा खनन परियोजनाओं द्वारा भूजल दोहन के विनियमन के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में जल संरक्षण तथा जल उपयोग को सीमित करने के प्रावधान शामिल हैं। परियोजना प्रस्तावक (उद्योग, अवसंरचना और खनन) को वर्षा जल संचयन योजना को भू जल दोहन के लिए से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल भवन निर्माण के अनुसार परियोजना परिसर में वर्षाजल संचयन/पुर्नभरण के लिए आवेदक/ प्रस्ताव द्वारा सरकारी एजेंसी को वर्षा जल संचयन योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय देश में वन के सुरक्षा संरक्षण और प्रबंधन सहित वन क्षेत्र का संवर्धन करने के लिए केंद्रीय सरकार की विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना (एफ़पीएम), नगर वन योजना (एनवीवाई), तथा वन्यजीव पर्यावसों के एकीकृत विकास कार्यक्रम शामिल हैं। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन का उद्देश्य भारत के वनावरण की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और वृद्धि

करना है तथा जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी है।

अब तक, कुल ₹1016.21 करोड़ की राशि सत्रह राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्रों को वृक्षारोपण/पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन हेतु आवंटित की गई है, जिसमें कर्नाटक भी शामिल है, मंत्रालय वर्ष 2020-21 से नगर वन योजना को लागू कर रहा है, जिसे राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में नगर वन/वाटिकाओं का विकास कर वन/हरित क्षेत्र तैयार करना तथा शहरों/कस्बों या उनके निकट के वन भूमि को क्षरण और अतिक्रमण से बचाना है। इसके अतिरिक्त, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर "एक पेड़ माँ के नाम #Plant4Mother" नामक वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में वृक्षारोपण कार्यकलाप संचालित किए गए है। यह अभियान "सम्पूर्ण सरकार" और "सम्पूर्ण समाज" दृष्टिकोण का अनुपालन करती है, जिसमें सभी हितधारकों की भागीदारी से देश में हरित क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण में योगदान दिया है, जिससे देश में हरित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इस अभियान के अंतर्गत वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट की गई पौधारोपण की संचयी प्रगति 268 करोड़ से अधिक के पौधों है, जिसमें कर्नाटक राज्य में लगाए गए 5.86 करोड़ के पौधे भी शामिल हैं।

वर्ष 2023 भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफ़आर) के अनुसार, में कर्नाटक में वनावरण और वृक्ष आच्छादन 2013 की तुलना में क्रमशः 8.53% और 31.40% वृद्धि है।

*****